संशोधित

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात

पत्रांक 3637 /14-1 दिनांक, कानपुर देहात, 16.05.2018

सेवा में,

महाप्रबन्धक, (तकनीकि)
उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण,
चतुर्थ तल, किसान मण्डी भवन,
लखनऊ।

विषयः– पुखरायाँ–घाटमपुर–बिन्दकी मार्ग (एस0एच0–46) के चौड़ीकरण हेतु कानपुर देहात में कि0मी0 0 से 21 तक 20.631 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 2026 वृक्षों के पातन, कानपुर नगर मे कि0मी0 22 से 54 तक 29.586 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 2889 वृक्षों के पातन व फतेहपुर में कि0मी0 55 से 82.220 तक 25.3065 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 6745 वृक्षों के पातन कुल 75.5235 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उसपर अव्यवस्थित 11658 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ की पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/44/2017/एफ0सी0/48 दिनॉक 20.04.2018 एवं नोडल अधिकारी का पृष्ठांकन पत्र सं0–2996/पुखरायाँ–घाटमपुर–बिन्दकी मार्ग/17826/2016 दिनॉक 24.04.2018 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 3463/14–1 दिनॉक 03.05.2018, पत्रांक 3592/14–1 दिनॉक 11.05.2018 एवं 3618/14–1 दिनॉक 14.05.2018।

महोदय,

कृपया भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/44/2017/एफ0सी0/48 दिनॉक 20.04.2018 **(पत्र की छायाप्रति संलग्न)** जो विशेष सचिव वन, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन सचिवालय, लखनऊ को सम्बोधित है, के द्वारा विषयक प्रकरण में विभिन्न शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिनका बिन्दुवार अक्षरशः अनुपालन करने हेतु इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा अनुरोध किया गया था जिनका आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार आवश्यक अभिलेख एवं वॉछित धनराशि इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>शर्त सं0–01</u>–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात के पक्ष में प्रभावित वनभूमि 20.631 हे0 के दोगुने 20.631 हे0 अवनत वनभूमि अर्थात् 41.262 हे0 अथवा 42.00 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक 526/11सी (क्षतिपूरक वनीकरण) दिनॉक 09.09.2016 के क्रमांक 06 द्वारा निर्गत अनुसूचित दरें एवं 6.875 प्रतिशत सेन्टेज चार्जेज सहित रू0 28846100.00 (दो करोड़ अट्ठासी लाख छियालिस हजार एक सौ मात्र) की धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमा कराकर, जमा की गयी धनराशि की हार्ड कापी इस कार्यालय में उपलब्ध करायें। (प्रस्ताव के साथ प्रेषित प्राक्कलन में नोडल अधिकारी के उक्त पत्र में अग्रिम मृदा कार्य व वनीकरण के साथ–साथ 6 वर्षों का ही अनुरक्षण प्राविधानित है। जबकि भारत सरकार की उक्त शर्त सं0–01 में 10 वर्षों तक अनुरक्षण की शर्त है। जिसके अनुपालन में धनराशि की बढ़ोत्तरी हुई है।) **संशोधित प्राक्कलन संलग्न है।**

<u>शर्त सं0–02(क)</u>–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनॉक 05.02.2009 के पृष्ठ सं0–2 पर अंकित सारणी में डेन्स फॉरेस्ट (Densty 0.4) क्लास तृतीय के तहत 20.631 हे0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य रू0 803000.00 प्रति हे0 की दर से रू0 16566693.00 (रू0 एक करोड़ पैंसठ लाख छियासठ

हजार छः सौ तिरानवे मात्र) की धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमा कराकर, जमा की गयी धनराशि की हार्ड कापी इस कार्यालय में उपलब्ध करायें।

(ख)-इसके अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन ई-रसीद की प्रमाणित छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का विवरण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित करें।

(ग)-इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण को इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा प्रस्तुत करेगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

<u>शर्त सं0-03</u>-इस शर्त के अनुपालन में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित दोगुना वनक्षेत्र 41.262 अथवा 42.00 हे0 को सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन, प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। जिसमें अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वनक्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे एवं उसके पीछे उनकी दिशा (Bearing) भी लिखी जायेगी। इस हेतु 70 पिलर निर्माण एवं सीमाकंन पर रू0 350000.00 (रू0 तीन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि, अधोहस्ताक्षरी के पदीय नाम पर बैंक ड्राफ्ट जमा करें।

<u>शर्त सं0-4</u>-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे कि आई0आर0सी0 के मानको के अनुरूप तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेन्ट्रल जोन बैंक, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं0-27/2015 बाबू लाल जाजू बनाम् राजस्थान सरकार में दिनॉक 16.11.2015 में दिये गये आदेश के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा-निर्देशन में सड़क के दोनो तरफ तथा Mediah पर (यदि उपलब्ध हो तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

<u>शर्त सं0-05</u>-इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना अधोहस्ताक्षरी से स्वीकृत कराकर भारत सरकार के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

<u>शर्त सं0-06</u>-इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम व कानून तथा दिशा-निर्देशो का पालन करेगी।

<u>शर्त सं0-07</u>-इस शर्त के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुये वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लघंन न करने के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

<u>शर्त सं0-08</u>-इस शर्त का अक्षरशः पालन करते हुये आवश्यक अभिलेख इस कार्यालय को प्रस्तुत किये जाये।

<u>संलग्नक :- यथोपरि</u>

भवदीय

(डा0 एल0के0 गिरि)
प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

पत्रांक /अ समदिनांकित

<u>प्रतिलिपिः</u>-नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण), वन विभाग 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को उनके कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

<u>प्रतिलिपिः</u>- मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

<u>प्रतिलिपिः</u>-प्रभागीय निदेशक/प्रकरण के नोडल अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 एल0के0 गिरि)
प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात
Email-dfokd-up@nic.in

D:/Gen Letter/P/May 2018

जनपद कानपुर देहात में पुखरांया–घाटमपुर–बिन्दकी मार्ग (SH-46) किमी0 0–21 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृणीकरण में प्रस्तावित निर्माण से प्रभावित 20.631 हे0 संरक्षित वनभूमि के दोगुने अवनत वनभूमि 41.262 हे0 अर्थात 42.00 हे0 पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक 526/11–सी (क्षतिपूरक वनीकरण) दिनांक 09.09.2016 के कमांक 06 द्वारा निर्गत अनुसूचित दरें एवं 6.875 प्रतिशत सेन्टेज चार्जेज जोड़ते हुए वनीकरण कार्य हेतु व्यय का सारांश (रू0 174 प्रतिदिन मजदूरी के आधार पर)

कमांक	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर (रू0 में 6.875 सेन्टेज चार्जेज सहित)	धनराशि (रू0 में)	अनुवर्ती वर्षो में 10% की वृद्वि के पश्चात धनराशि रू0 में
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रथम चरण अग्रिम मृदा कार्य	42.00	प्रति हे0	67545	2836890	3120579
2	द्वितीय चरण वृक्षारोपण कार्य	42.00	प्रति हे0	103241	4336133	4769746
3	तृतीय चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (प्रथम वर्ष)	42.00	प्रति हे0	29861	1254162	1379578
4	चतुर्थ चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (द्वितीय वर्ष)	42.00	प्रति हे0	29820	1252440	1517536
5	पंचम चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (तृतीय वर्ष)	42.00	प्रति हे0	25896	1087632	1669290
6	षष्ठ चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (चतुर्थ वर्ष)	42.00	प्रति हे0	10242	430164	1836219
7	सप्तम चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (पंचम वर्ष)	42.00	प्रति हे0	10973	460866	2019840
8	अष्टम चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (षष्ठ वर्ष)	42.00	प्रति हे0	10973	460866	2221824
9	नवम् चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण सप्तम् वर्ष)	42.00	प्रति हे0	10973	460866	2444007
10	दशम् चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (अष्टम वर्ष)	42.00	प्रति हे0	10973	460866	2688408
11	एकादश चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (नवम् वर्ष)	42.00	प्रति हे0	10973	460866	2957248
12	द्वादश चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (दशम् वर्ष)	42.00	प्रति हे0	8883	373086	2221824
	योग					28846100

अर्थात रू0 28846100.00

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग कानपुर

पत्रांक 3407/14-1 दिनांक, कानपुर, मई 3 2018

सेवा में,

महाप्रबन्धक(तकनीकी)
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण
चतुर्थ तल, किसान मन्डी भवन
लखनऊ

विषय:- पुखरायाँ–घाटमपुर– बिन्दकी मार्ग (एस0एच0–46) के चौड़ीकरण हेतु कानपुर नगर में कि0मी0 22 से 54 तक 29.586 है0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 2889 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या–8 बी /यू0पी0 /06 /44/2017/एफ0सी0/48 दिनांक–20.04.2018

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में जनपद कानपुर नगर की प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन हेतु बिन्दुवार निम्नलिखित धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर रसीद (आन–लाइन चालान की प्रति) उपलब्ध कराने हेतु पूर्व प्रेषित इस कार्यालय की पत्र संख्या– 3329/14–1 दिनांक 27.04.2018 को निम्नप्रकार संशोधित कर प्रेषित किया जा रहा है। तदनुसार धनराशि जमा कर अनुपालन आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें–

1. **बिन्दु संख्या–1** के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही 29.586 है0 संरक्षित वन भूमि के दोगुने क्षेत्रफल अर्थात 59.172 है0 में दस वर्षों तक रखरखाव सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 27087362/–(दो करोड़ सत्तर लाख सत्तासी हजार तीन सौ बासठ मात्र) की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से जमा कराकर रसीद (आन–लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
2. **बिन्दु संख्या–2 क** के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही 29.586 है0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) रू0 रू0 23757558/– (दो करोड़ सैंतीस लाख सत्तावन हजार पाँच सौ अट्ठावन मात्र) की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से जमा कराकर रसीद (आन–लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
3. **बिन्द संख्या–2 ख** के अनुसार क्षतिपूरक एवं एन0पी0वी0 की वांछित धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से जमा कराकर रसीद (आन–लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4. **बिन्द संख्या–2 ग** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि एन0पी0वी0 की धनराशि में यदि बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
5. **शर्त संख्या–03** के अनुपालन किये जाने हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने तथा अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखे जाने हेतु रू0 500000/– (रू0 पाँच लाख मात्र) की आवश्यकता होगी जिसे प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर के नाम बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. **बिन्दु संख्या–4** प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) सेन्ट्रल जोन बैंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशों में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर यदि उपलब्ध है तो वृक्षारोपण किया जायेगा।
7. **बिन्दु संख्या–5** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करेंगे।
8. **बिन्दु संख्या–6** प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगें।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने हेतु कार्यवाही की जा सके।

(एस0एस0श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

पत्रांक /तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(एस0एस0श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

dfokanpurnagar@gmail.com

May 2018/Rajat

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर

पत्रांक 3538 / 14-1 दिनॉक कानपुर, मई 15- 2018

सेवा में,

महाप्रबन्धक, (तकनीकि)
उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण,
चतुर्थ तल, किसान मण्डी भवन,
लखनऊ।

विषय:- पुखरायॉ–घाटमपुर–बिन्दकी मार्ग (एस0एच0-46) के चौड़ीकरण हेतु कानपुर नगर में कि0मी0 22 से 54 तक 29.586 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 2889 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ की पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/44/2017/एफ0सी0/48 दिनॉक 20.04.2018 एवं नोडल अधिकारी का पृष्ठांकन पत्र सं0–2908/ पुखरायॉ–घाटमपुर–बिन्दकी मार्ग/17826/2016 दिनॉक 24.04.2018 तथा आपकी पत्र संख्या– 323/प्रावी–18(50) पी0जी0बी0 फारेस्ट/यू0पी0एस0एच0ए0/2017–18/ लखनऊ दिनांक 11.05.2018 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 3407/14–1 दिनांक 03.05.2018।

महोदय,

भारत सरकार की शर्त सं0–01 के अनुपालन में इस कार्यालय का पत्रांक 3407/14–1 दिनांक 03.05.2018 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर नगर की प्रभावित संरक्षित वनभूमि 29.586 हे0 के दोगुने अर्थात् 59.172 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक 526/11सी (क्षतिपूरक वनीकरण) दिनॉक 09.09.2016 के क्रमांक 06 द्वारा निर्गत अनुसूचित दरें एवं 6.875 प्रतिशत सेन्टेज चार्जेज सहित रू0 27087362.00 (दो करोड़ सत्तर लाख सत्तासी हजार तीन सौ बासठ मात्र) की धनराशि की मांग की गयी है।

उपरोक्त के कम में निवेदन के साथ अवगत कराना है कि प्रस्ताव में प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ऊसर वनभूमि है। ऊसर वनभूमि पर वृक्षारोपण हेतु नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ के उपरोक्त पत्र द्वारा वनीकरण के उपरान्त आगामी छः वर्षों हेतु अनुरक्षण प्रस्तावित है। जबकि भारत सरकार के पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/44/2017/एफ0सी0/48 दिनॉक 20.04.2018 की शर्त सं0–1 के अनुसार वृक्षारोपण एवं आगामी 10 वर्षों तक रख–रखाव की शर्त लगायी गयी है।

भारत सरकार द्वारा लगायी गयी उक्त शर्त के अनुपालन में नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ के उपरोक्त अंकित पत्र द्वारा जारी अनुसूचित दरों के क0सं0–06 पर अंकित अन्तिम वर्ष के 01 वर्ष पहले की धनराशि को 04 बार जोड़कर 10 वर्ष अनुरक्षण हेतु धनराशि की मांग की गयी है। प्रस्ताव के साथ नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के द्वारा जारी अनुसूचित दरों के क0सं0–06 पर अंकित जिसमें प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य, द्वितीय वर्ष वनीकरण कार्य एवं आगामी 06 वर्षों हेतु अनुरक्षण का प्राविधान है, के अनुसार मांग की गयी थी।

अतः आपसे अनुरोध है कि कि भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–01 के अनुपालन में वनीकरण कार्य (अग्रिम मृदा एवं वृक्षारोपण कार्य) तथा आगामी 10 वर्षों तक अनुरक्षण हेतु मांगी गयी धनराशि को ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमा कराकर जमा की गयी धनराशि की हार्डकापी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय
(एस0एस0श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

पत्रांक 3538 /समदिनांकित
प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को उपरोक्त कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(एस0एस0श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

जनपद कानपुर नगर में पुखराया–घाटमपुर बिन्दकी मार्ग (एस0एच0–46) किमी0 22.00 से 54.00 किमी0 तक 4 लेन चौडीकरण में प्रभावित संरक्षित भूमि 29.586 हे0 के दो गुने 59.172 हे0 में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ की पत्र संख्या–526/11–सी (क्षतिपूरक वनीकरण) दिनांक 09.09.2016 के कमांक 06 द्वारा निर्गत अनुसूचित दरें एवं 6.875 प्रतिशत सेन्टेज चार्जेस जोडते हुए वनीकरण काय हेतु व्यय का सारांश (रू0 174 प्रतिदिन मजदूरी के आधार पर)

क0 स0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)	अनुवर्ती वर्षो में 10 प्रतिशत की वृद्धि के पश्चात् धनराशि (रू0 में)
1	प्रथम चरण अग्रिम मृदा कार्य	59.172	प्रति हे0	67545	3996773	4396450
2	द्वितीय चरण वृक्षारोपण कार्य	59.172	प्रति हे0	103241	6108976	7330772
3	तृतीय चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (प्रथम वर्ष)	59.172	प्रति हे0	29861	1766935	2297016
4	चतुर्थ चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (द्वितीय वर्ष)	59.172	प्रति हे0	29820	1764509	2470313
5	पंचम चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (तृतीय वर्ष)	59.172	प्रति हे0	25896	1532318	2298477
6	षष्टम चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (चतुर्थ वर्ष)	59.172	प्रति हे0	10242	606040	969663
7	सप्तम चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (पंचम वर्ष)	59.172	प्रति हे0	10973	649294	1103800
8	अष्टम चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (षष्टम वर्ष)	59.172	प्रति हे0	10973	649294	1168730
9	नवम चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (सप्तम वर्ष)	59.172	प्रति हे0	10973	649294	1233659
10	दशम चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (अष्टम वर्ष)	59.172	प्रति हे0	10973	649294	1298589
11	एकादश चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (नवम वर्ष)	59.172	प्रति हे0	10973	649294	1363518
12	द्वादश चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (दशम वर्ष)	59.172	प्रति हे0	8883	525625	1156375
			योग			**27087362**
				अर्थात		**27087362.00**

दो करोड़ सत्तर लाख सत्तासी हजार तीन सौ बासठ मात्र

(एस0एस0 श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, फतेहपुर

पत्रांक 3735 / 27-4 फतेहपुर दिनांक – 09/05/2018।

सेवा में,

महाप्रबन्धक, (तकनीकि)
उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण,
चतुर्थ तल, किसान मण्डी भवन,
लखनऊ।

विषय :– पुखरांया–घाटमपुर–बिन्दकी मार्ग (एस0एच0–46) के चौड़ीकरण हेतु कानपुर देहा में किमी0–0.00 से 21.000 तक 20.631 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 2026 वृक्षों के पातन, कानपुर नगर में किमी0–22.000 से 54.000 तक 29.566 है0 संरक्षित भूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 2889 वृक्षों के पातन एवं फतेहपुर में किमी0–55.000 से 82.220 तक 25.3065 है0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 6743 वृक्षों के पातन कुल 75.5235 है0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग उस पर अवस्थित 11658 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/44/2017/एफ0सी /48 दिनांक 20.04.2018 एवं नोडल अधिकारी का पृष्ठांकन पत्र सं0 2996/पुखरायां–घाटमपुर–बिन्दकी मार्ग17826/2016 दिनांक 24.04.2018।

महोदय,

कृपया भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06 /44/2017/एफ0सी /48 दिनांक 20.04.2018 जो विशेष सचिव वन, उ0प्र0 शासन, बापू भवन सचिवालय, लखनऊ को सम्बोधित है के द्वारा विषयक प्रकारण में विभिन्न शर्तों के साथ सैद्धान्ति स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिनका बिन्दुवार अक्षरशह अनुपालन करते हुये सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

शर्त सं0–1 :– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद फतेहपुर में प्रभावित वन भूमि 25.5235 है0 के दो गुने अर्थात् 50.613 है0 वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 526/11सी(क्षतिपूरक वनीकरण) दिनांक 09.09.2016 के कम में 7938500.00 (उन्यासी लाख अठतिस हजार पांच सौ रुपये) की धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमा कराकर, जमा की गयी धनराशि की रसीद इस कार्यालय में उपलब्ध करायें।(संलग्न है)

शर्त सं0–2(क) :–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन(सिविल)202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0ए0 सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के पृष्ठ सं0 2 पर अंकित सारणी में ओपेन फॉरिस्ट क्लास तृतीय के तहत 25.3065 है0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य रु0 8.03 लाख प्रति है0 की दर से रु0 20321119.5 या 20321120.00 (दो करोड़ तीन लाख इक्कीस हजार एक सौ बीस मात्र) की धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमा कराकर, जमा की गयी धनराशि की रसीद इस कार्यालय में उपलब्ध करायें।(संलग्न है)

(ख) :–इसके अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की प्रमाणित छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जाम की गयी धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित करें।

(ग) :–इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिरकण को इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सक्षम स्तर द्वारा प्रस्तुत करेंगें कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिरकण द्वारा जमा की जायेगी।

शर्त सं0–3 :–इस शर्त के अनुपालन में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित दोगुना वन क्षेत्र 50.613 है0 की सीमा स्तम्भों द्वार सीमांकन, प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। जिसमें अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वनक्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे एवं उसके पीछे उनकी दिशा (Bearing) भी लिखी जायेगी। इस हेतु 40 पिलर निर्माण एवं सीमांकन पर रु0 200000.00(दो लाख) की धनराशि अधोहस्ताक्षरी के पदीय नाम पर बैंक ड्राफ्ट जमा करें।

शर्त सं0–4 :–प्रयोक्ता अभिकरण द्वार इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि आई0आर0 सी0 के मानको के अनुरुप तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोल बैंक, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं0 27/2015 बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वय के व्यय पर वन विभाग के दिशा–निर्देशन में सड़क के दोनो तरफ तथा **Median** पर (यदि उपलब्ध हो तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

शर्त सं0–5 :–इस के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना अधोहस्ताक्षरी से स्वीकृत कराकर भारत सरकार के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

शर्त सं0–6 :–इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम व कानून तथा दिशा निर्देश का पालन करेगी।

शर्त सं0–7 :–इस शर्त के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति का पूर्ण रुप से अनुपालन करते हुये वन संरक्षण अधिनियम–1980 की उल्लघंन न करने का विषय में सूचना/प्रमाण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

शर्त सं0–3 :–इस शर्त का अक्षरश: पालन करते हुये आवश्यक अभिलेख इस कार्यालय को प्रस्तुत किये जायें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सी0पी0एस0 मलिक)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

पत्रांक 3735/27-4 **समदिनांक :–**

प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी इलाहाबाद वृत्त इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभागीय निदेशक/प्रकरण के नोडल अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(सी0पी0एस0 मलिक)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

<u>क्षतिपूरक वनीकरण हेतु आवश्यक धनराशि</u>

पुखराया- घाटमपुर - बिंदकी मार्ग (एस0एच0-46) के किमी0 54.00 से किमी0 82.200 के मध्य चार लेन चौडीकरण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 25.3065 है0 के दुगुने अर्थात 50.613 है0 अवनत वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ***कुकेड़ी वन ब्लाक 30.031 है0, पत्योरा वन ब्लाक 10.050 है0 एवं मानेपुर वन ब्लाक 10.532 है0*** का चयन किया गया है। जिसमें कंजी, नीम, अर्जुन प्रासपिस आदि पौधों का रोपण प्रस्तावित है।

मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 526/11-सी क्षतिपूरक वनीकरण, दिनांक 09.09.2016 से जारी सीलिंग दर के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सुरक्षा खाई सहित आवश्यक धनराशि की गणना निम्न है-

<u>भूमि का प्रकार:- बीहड़</u> <u>श्रम दर:- रू0 174.00 प्रतिदिन</u>

<u>प्रति है0 पौध संख्या</u> - 1100 (200 पौध एवं 300 बुवाई नाली, 3 पौध प्रति बुवाई नाली)

क्र0 सं0	रेंज का नाम	वर्ष	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अमौली	प्रथम वर्ष	अग्रिम मृदा कार्य	प्रति है0	50.613	32800.00	1660106.40
2	,,	द्वितीय वर्ष	वृक्षारोपण कार्य	प्रति है0	50.613	17930.00	907491.09
3	,,	तृतीय वर्ष	प्रथम वर्ष अनुरक्षण	प्रति है0	50.613	15422.00	780553.69
4	,,	चतुर्थ वर्ष	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण	प्रति है0	50.613	16936.00	857181.77
5	,,	पंचम वर्ष	तृतीय वर्ष अनुरक्षण	प्रति है0	50.613	18348.00	928647.32
6	,,	षष्टम वर्ष	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	प्रति है0	50.613	7147.00	361731.11
7	,,	सप्तम वर्ष	पंचम वर्ष अनुरक्षण	प्रति है0	50.613	20032.00	1013879.62
8	,,	अष्टम वर्ष	षष्टम वर्ष अनुरक्षण	प्रति है0	50.613	9072.00	459161.14
9	,,	नवम वर्ष	सप्तम वर्ष अनुरक्षण	प्रति है0	50.613	9639.00	487858.71
10	,,	दशम वर्ष	अष्टम वर्ष अनुरक्षण	प्रति है0	50.613	3060.00	154875.78
11	,,	एकादशम वर्ष	नवम वर्ष अनुरक्षण	प्रति है0	50.613	3230.00	163479.99
12	,,	द्वदस वर्ष	दशम वर्ष अनुरक्षण	प्रति है0	50.613	3230.00	163479.99
योग							7938446.61
या							**7938500.00**

नोट:- भविष्य में यदि उक्त दरों में वृद्धि होगी तो तदनुसार धनराशि महाप्रबंधक (तकनीकी) उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण लखनऊ द्वारा देय होगी।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
फतेहपुर

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि की गणना

पुखराया- घाटमपुर - बिंदकी मार्ग (एस0एच0-46) के किमी0 54.00 से किमी0 82.200 के मध्य चार लेन चौड़ीकरण में जनपद फ़तेहपुर में सामाजिक वानिकी प्रभाग फ़तेहपुर के नियंत्रणाधीन प्रभावित संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना निम्न है:-

1- प्रभावित संरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल = 25.3065 हे0

2- प्रभावित संरक्षित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व = 0.4

3- प्रभावित संरक्षित वन भूमि का Eco Class = Eco-3

उपरोक्त Eco Class एवं वानस्पतिक घनत्व

वाले वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य दर = रु0 8.03 लाख प्रति हे0

4- प्रभावित संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य = 25.3065 x 8.03 = रु0 203.211195 लाख

या रु0 203.21120 लाख

(रु0 दो करोड़ तीन लाख इक्कीस हजार एक सौ बीस मात्र)

उपरोक्त धनराशि महाप्रबंधक (तकनीकी) उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण लखनऊ द्वारा देय होगी। भविष्य में यदि उक्त दर में बढ़ोत्तरी होगी तो तदनुसार धनराशि देय होगी।

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

फ़तेहपुर